

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)**

पीठासीन अधिकारी:—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:— 73/18 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. धन्ना पिता घीसा जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. खेमा पिता घीसा जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1. देवी लाल पिता मांगी लाल जाति गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पीरू पिता मांगी लाल जाति गाडरी निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. नेनुराम पिता लालु जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नारायण पिता जगन्नाथ जाति तेली निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन —

अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 06.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम ढ़िकाणी पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारी की कृषि आराजियात खाता संख्या 53 में अंकित आराजी स. 742 रकबा 0.05 हैक्ट. 756 रकबा 0.14 हैक्ट. 757 रकबा 0.15 हैक्ट. 758 रकबा 0.20 हैक्ट. 759 रकबा 0.45 हैक्ट. 760 रकबा 0.30 हैक्ट. 761 रकबा 0.63 हैक्ट. 783 रकबा 0.08 हैक्ट 840 रकबा 0.11 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 हैक्ट. भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थीगण की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के कोई मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थीगण की कृषि आराजियात में विपक्षी गण आये दिन दखलअंदाजी करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को अपने आराजियात में फसल काशत कर, फसल लाभ लेने मवेशी चराने व घास काटने में काफ़ि कटिनाईयो का सामना करना पडता है जिससे प्रार्थीगण की कृषि आराजियात की पत्थरगढ़ी कराया जाना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीगण ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 30.06.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षी इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की आराजियात के पड़ोसी होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय में दिनांक 31.07.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षीगण बावजुद सूचना के उपस्थित नहीं होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का कोई अन्देशा नहीं है तथा न किसी



कार से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः


आदेश

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम ढिकाणी पटवार हल्का पीथा का खेड़ा तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकारों की कृषि आराजियात खाता संख्या 53 में अंकित आराजी स. 742 रकबा 0.05 हैक्ट. 756 रकबा 0.14 हैक्ट. 757 रकबा 0.15 हैक्ट. 758 रकबा 0.20 हैक्ट. 759 रकबा 0.45 हैक्ट. 760 रकबा 0.30 हैक्ट. 761 रकबा 0.63 हैक्ट. 783 रकबा 0.08 हैक्ट. 840 रकबा 0.11 हैक्ट. कुल किता 9 कुल रकबा 2.11 हैक्ट. भूमि स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि में किसी भी प्रकार दखलंदाजी नहीं करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा दें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थीगण सक्षम न्यायालय में चाराजोही करे। प्रार्थीगण इस कार्य के लिये तहसील रायपुर में रूपये 200/- अक्षरे दो सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 1000/- अक्षरे एक हजार रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर में दाखला अंकित किया जावें।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 06.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा